



पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

दूरभाष: 0771-2262802(अकादमिक), 0771-2262540 (कुलसचिव), फ़ैक्स- 0771-2262818, 2262607

क्रमांक : 2005 / अका. / का.प / 2023

रायपुर, दिनांक 01/06/2023

विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की 'सतहत्तरवीं' बैठक बुधवार दिनांक 31.05.2023 को अपराह्न 03.00 बजे कुलपति सचिवालय के सभाकक्ष में संपन्न हुई। बैठक में निम्नलिखित सदस्यगण उपस्थित हुए:-

डॉ. सच्चिदानंद शुक्ल, कुलपति –अध्यक्ष

- | | | | |
|-----------------------|---------|-------------------------------|---------|
| 1. डॉ. व्यास दुबे | – सदस्य | 6. डॉ. अल्फारेखा सी. जेम्स | – सदस्य |
| 2. डॉ. आर.के. ब्रह्मे | – सदस्य | 7. श्रीमती राजलक्ष्मी सेलट | – सदस्य |
| 3. डॉ. राजीव चौधरी | – सदस्य | 8. श्रीमती प्रेमा गुलाब एक्का | – सदस्य |
| 4. डॉ. के.एन. शर्मा | – सदस्य | 9. डॉ. एम.एल. नायक | – सदस्य |
| 5. डॉ. समीर ठाकुर | – सदस्य | 10. श्री सत्यनारायण शर्मा | – सदस्य |

डॉ. शैलेंद्र कुमार पटेल, कुलसचिव –सचिव

कार्यवृत्त

1. विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 28.04.2023 एवं कार्यपरिषद् की आपात बैठक दिनांक 19.05.2023 के कार्यवृत्त की संपुष्टि प्रदान करना।

निर्णय: संपुष्टि की गई।

2. विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 28.04.2023 एवं कार्यपरिषद् की आपात बैठक दिनांक 19.05.2023 की कार्यवाही विवरण के पालन प्रतिवेदन की सूचना ग्रहण करना।

निर्णय: सूचना ग्रहण की गई।

वित्त विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :-

3. वार्षिक परीक्षा 2023 केन्द्रीय मूल्यांकन इकाई/नोडल मूल्यांकन केन्द्रों को अग्रिम राशि रु. 1,95,68,265/- (रुपए एक करोड़ पंचानबे लाख अड़सठ हजार दो सौ पैसठ मात्र) में से द्वितीय किश्त की राशि रु. 96,85,218/- (रुपए छियानबे लाख पच्चासी हजार दो सौ अठारह मात्र) के भुगतान की कार्योत्तर स्वीकृति के संबंध में विचार करना।

निर्णय: स्वीकृति प्रदान की गई।

4. डॉ. रविन्द्र कुमार मिश्रा, सहायक संचालक, शारीरिक शिक्षा विभाग के सेवानिवृत्त होने के फलस्वरूप सी.पी.एफ. का अंतिम भुगतान राशि रु. 27,49,531.00 (रुपए सत्ताईस लाख उनचास हजार पाँच सौ इकत्तीस मात्र) के भुगतान की स्वीकृति पर विचार करना।

निर्णय: स्वीकृति प्रदान की गई।

5. श्री लक्ष्मीनारायण, भृत्य शारीरिक शिक्षा अध्ययनशाला के सेवानिवृत्त होने के फलस्वरूप सी.पी.एफ. का अंतिम भुगतान राशि रु. 9,58,166.00 (रुपए नौ लाख अठानबे हजार एक सौ छियासठ मात्र) के भुगतान की स्वीकृति पर विचार करना।

निर्णय: स्वीकृति प्रदान की गई।

पूरक विषयसूची

1. विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् की स्थाई समिति की बैठक दिनांक 30.05.2023 के कार्यवृत्त को संपुष्टि प्रदान करना।

निर्णय: संपुष्टि की गई।

वित्त विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :-

2. सेमेस्टर परीक्षा मई-जून 2023 के संचालन हेतु अग्रिम राशि रूपए 13,35,000/- (रूपए तेरह लाख पैंतीस हजार मात्र) के भुगतान की कार्योत्तर स्वीकृति के संबंध में विचार करना।

निर्णय: स्वीकृति प्रदान की गई।

3. डॉ. केशरी लाल वर्मा, प्रोफेसर द्वारा दिनांक 15.07.2021 को नियमित पद से 30.06.2021 सेवानिवृत्त के पश्चात् स्वयं के अंश के रूप में कटौती का पदवधि गणनानुसार राशि 5,34,809.00 (रूपए पाँच लाख चौतीस हजार आठ सौ नौ मात्र) के भुगतान की कार्योत्तर स्वीकृति के संबंध में विचार करना।

निर्णय: स्वीकृति प्रदान की गई।

4. 41 अतिथि व्याख्याताओं के माह फरवरी-मार्च 2023 के मानदेय राशि रूपए 8,60,700/- (रूपए आठ लाख साठ हजार सात सौ मात्र) के भुगतान की कार्योत्तर स्वीकृति के संबंध में विचार करना।

निर्णय: स्वीकृति प्रदान की गई।

5. 57 अतिथि व्याख्याताओं के माह मार्च-अप्रैल 2023 के मानदेय राशि रूपए 12,85,800/- (रूपए बारह लाख पच्चासी हजार आठ सौ मात्र) के भुगतान की स्वीकृति के संबंध में विचार करना।

निर्णय: स्वीकृति प्रदान की गई।

गोपनीय विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :-

6. वर्ष 2023 में आयोजित होने वाली विभिन्न परीक्षाओं के प्रश्नपत्र मुद्रण कार्य हेतु अनुबंध कराए जाने के संबंध में विचार करना।

निर्णय: वर्ष 2023 में आयोजित होने वाली विभिन्न परीक्षाओं के प्रश्नपत्र मुद्रण कार्य हेतु फर्म 'D' के साथ अनुबंध कराए जाने का अनुमोदन किया गया।

सामान्य प्रशासन विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :-

7. विश्वविद्यालय के कर्मचारियों (शिक्षकों/अधिकारियों/कर्मचारियों) का समूह बीमा की सेवानिवृत्त दावा राशि कुल रूपए 5,87,819 = 00 (रूपए पाँच लाख सत्यासी हजार आठ सौ उन्नीस मात्र) का भुगतान किए जाने के संबंध में विचार करना।

निर्णय: अनुमोदन किया गया।

विकास विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :-

8. विश्वविद्यालय प्रेक्षागृह के लिए LED Wall Screen क्रय हेतु अनुबंधित फर्म, G.S. Enterprises, CGHB Colony, Cedar 11/43 Opp. Sadani Darbar, Boriyakala, Raipur (C.G.) के द्वारा प्रस्तुत देयक राशि रूपए 1,10,60,296=00 (रूपए एक करोड़ दस लाख साठ हजार दो सौ छियानबे मात्र) के भुगतान किए जाने की स्वीकृति के संबंध में विचार करना।

निर्णय: स्वीकृति प्रदान की गई।



अकादमिक विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :-

9. उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर, रायपुर के पत्र क्र. एफ 3-2/2023/38-2 दिनांक 26.04.2023 में संशोधित अध्यादेश क्रमांक 189 B.Ed. Special Education (ID), in Semester System (Bachelor of Education) एवं पत्र क्र. एफ 3-1/2023/38-2 दिनांक 15.05.2023 में नवीन अध्यादेश क्रमांक 198 B.Ed. Special Education (LD) के अनुमोदन की सूचना ग्रहण करना।

निर्णय: सूचना ग्रहण की गई।

अध्यक्ष के अनुमति से अन्य निर्णय

वित्त विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :-

1. प्राचार्य, गजानंद अग्रवाल स्नातकोत्तर महाविद्यालय, भाटापारा को वार्षिक परीक्षा 2022 के उत्तर-पुस्तिका मूल्यांकन हेतु प्रदत्त अग्रिम राशि रु. 18,73,512/- (रुपए अठारह लाख तिहत्तर हजार पाँच सौ बारह मात्र) के समायोजन की सूचना ग्रहण करना।

निर्णय: सूचना ग्रहण की गई।

2. प्राचार्य, शासकीय विश्वनाथ यादव तामस्कर स्नातकोत्तर स्वशासी महाविद्यालय, दुर्ग को वार्षिक परीक्षा 2022 के उत्तर-पुस्तिका मूल्यांकन हेतु प्रदत्त अग्रिम राशि रु. 28,33,924/- (रुपए अठाईस लाख तैंतीस हजार नौ सौ चौबीस मात्र) के समायोजन की सूचना ग्रहण करना।

निर्णय: सूचना ग्रहण की गई।

3. पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के वित्त अधिकारी को विश्वविद्यालय के प्रत्येक कार्यपरिषद् में आमंत्रित सदस्य के रूप में आमंत्रित किए जाने के प्रस्ताव पर विचार करना।

निर्णय: स्वीकृति प्रदान की गई।

4. पूरक विषय सूची प्रस्ताव बिंदु-1 के अंतर्गत विश्वविद्यालय विद्या-परिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 30.05.2023 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन हेतु आयोजित बैठक दिनांक 08.05.2023 के कार्यवृत्त क्रमांक 1963/अका./बैठक/2023, दिनांक 29.05.2023 की अनुशंसा के अनुमोदन पर विचार करना।

निर्णय: राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन पर सचिव, भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली के निर्देशानुसार आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, नवा रायपुर के पत्र क्रमांक 356/आउशि/गु.प्र./2023 दिनांक 12.04.2023 एवं पत्र क्रमांक 365/95/आउशि/गु.प्र./2023 दिनांक 01.05.2023 के परिप्रेक्ष्य में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का क्रियान्वयन एवं समय सीमा पर लक्ष्य प्राप्ति के संबंध में आयोजित बैठक दिनांक 08.05.2023 की अनुशंसा के तारतम्य में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन के 18 एक्शन पॉइंट जो निम्नलिखित पाँच मुख्य बिन्दु पर केन्द्रित है -

1. Learner Centric Education
2. Digital Learning
3. Industry Institute Collaboration
4. Academic Research and Internationalisation
5. Indian Knowledge System

उपरोक्त 05 बिन्दुओं से सम्बन्धित 18 एक्शन पॉइंट को विश्वविद्यालय स्तर पर क्रियान्वित किए जाने के लिए निम्नानुसार 11 प्रकोष्ठों/केंद्र को निर्मित/स्थापित किए जाने के लिए सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया -


1. उद्योग-अकादमिक सहयोग (Industry-Academia Collaboration)
2. कौशल विकास प्रकोष्ठ (Skill Development Cell)
3. डिजिटल लर्निंग एवं ऑनलाईन शिक्षा प्रकोष्ठ (Digital Learning and Online Education Cell)
4. अनुसंधान एवं विकास प्रकोष्ठ (Research & Development Cell)

5. संस्थान विकास योजना प्रकोष्ठ (Institutional Development Plan (IDP) Cell)
6. भारतीय भाषा, संस्कृति एवं कला प्रकोष्ठ (Indian Language, Culture and Art Cell)
7. अंतर्राष्ट्रीय संबंध प्रकोष्ठ (International Relation Cell)
8. दिव्यांग सहायता एवं वंचित समूह सहायता प्रकोष्ठ (Cell for differently abled students and SEDGs)
9. मेन्टरिंग एवं मनोवैज्ञानिक परामर्श प्रकोष्ठ (Mentoring and Counselling Cell)
10. एलुमनी कनेक्ट प्रकोष्ठ (Alumni Connect Cell)
11. नवाचार एवं इंक्यूबेशन केंद्र (Innovation & Incubation Centre)

5. पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय परिसर में राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी की प्रतिमा स्थापित किए जाने के संबंध में विचार करना।

निर्णय: प्रतिमा स्थापना की स्वीकृति प्रदान की गई। विश्वविद्यालय प्रशासन के आग्रह पर कार्यपरिषद् के माननीय सदस्य श्री सत्यनारायण शर्मा जी द्वारा अपने पितामह स्वर्गीय श्री ज्ञावरमल शर्मा की स्मृति में राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी के 5 फीट 3 इंच मकराना मूर्ति दान स्वरूप प्रदान किए जाने की वचनबद्धता प्रदान की गई। कार्यपरिषद् ने श्री सत्यनारायण शर्मा जी को इस सहृदय दान के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया। श्री सत्यनारायण शर्मा जी के द्वारा मूर्ति पं. रविशंकर शुक्ल जी के जयंती 2 अगस्त, 2023 को स्थापित किए जाने के प्रस्ताव को सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से पारित किया गया।

धन्यवाद ज्ञापन करने के साथ बैठक संपन्न हुई।


कुलपति
अध्यक्ष


कुलसचिव
सचिव

पृ.क्रमांक : 2006 / अका. / का.प / 2023

रायपुर, दिनांक 01/06/2023

प्रतिलिपि :-

1. माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय के सचिव, छत्तीसगढ़ राजभवन, रायपुर।
2. सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, छ.ग. शासन, मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर।
3. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, ब्लॉक-सी-3, द्वितीय एवं तृतीय तल, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर।
4. कार्यपरिषद् के समस्त सदस्यों को।
5. अध्यक्ष, समस्त अध्ययनशाला / समस्त विभागीय अधिकारी,
6. संचालक, महाविद्यालय विकास परिषद् / जनसंपर्क अधिकारी / अधिष्ठाता, छात्र कल्याण,
7. वित्त नियंत्रक / प्रभारी, अंकेक्षण,
8. कुलपति / कुलसचिव के निज सहायक, पं. रविशंकर शुक्ल वि.वि., रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।



उप-कुलसचिव (अका.)